निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 12/2020 (रसद अपील)

मैसर्स कमल कुमार प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 682 जयपुर शहर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 682 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 29.07.2019 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.02.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स कमल कुमार प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानउार दुकान संख्या 682 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 29.07.2019 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 682 जयपुर शहर का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। एक बेनामी शिकायत पत्र के माध्यम से उचित मूल्य दुकान संख्या 355 के विरूद्व राशनकार्ड संख्या 119000707875 व अन्य राशनकार्डो के साथ आधार कार्ड जोड कर

जिला कलक्टर
जयपुर

गेहूं निकालने की शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर प्रवर्तन अधिकारी डिविजन संख्या 8 जयपुर ने जांच कर दिनांक 31.05.2019 को एक जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष पेश की। प्रवर्तन अधिकारी ने मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की और ना ही मौका रिपोर्ट तैयार की प्रवर्तन अधिकारी ने बिना किसी जांच व फर्द मौका तैयार किये शिकायती पत्र के आधार पर खाद्य विभाग की साईड पर उपलब्ध ट्रान्जेक्शन के आधार पर कार्यालय मे बैठ कर माह अक्टूबर 2018 में राशन कार्ड संख्या 119000707875 से 40 किलो ग्राम गेहूं फर्जी आधारकार्ड से निकाल कर दुरूपयोग करने की रिपोर्ट तैयार कर ली। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस दिनांक 07.06.2019 को जारी किया जिसमें अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या 119000707875 मिनेश शेखावत में फर्जी आधार कार्ड 96288948161 का प्रयोग कर अक्टूबर 2018 में कुल 40 किलो ग्राम गेहूं का गबन किया जाना बताया। अपीलार्थी को ना तो प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 31.05.2019 की प्रति दी गई और ना ही रिपोर्ट के संलग्न पत्रादि की प्रति दी, जिनको आधार मान कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट मे अंकित किया है कि जो शिकायत प्राप्त हुई है वह उचित मूल्य दुकान संख्या 355 मीना अग्रवाल की थी। अपीलार्थी के विरूद्व कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रर्वतन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि शिकायती पत्र प्राप्त हुआ तथा जिस के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह बेनामी था उस पर शिकायतकर्ता का नाम पता व मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं है। ऐसी शिकायत को पत्रित की जानी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग शासन सचिवालय राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र कमांक प 2(2)(48) कार्मिक/क–3/2002 दिनांक 24.06.2002 जारी किया हुआ है। यही सिद्वान्त उचित मूल्य दुकान पर भी लागू होता है। इसी कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट सारहीन है, जो पत्रित की जानी चाहिये थी। राशन कार्डधारी उपभोक्ता के बयान नही लिये गये और ना ही राशनकार्ड जब्त किये गये। जबकि आरोप लगाने के लिये मूल साक्ष्य का होना आवश्यक है। इसं प्रकार प्रकरण में मूल साक्ष्य का अभाव होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है। जबकि कई न्यायिक निर्णयों में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जैसे AIR 2007 S.C.1721 Smt. J Yashoda v/s Smt. shobha Rani के प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है। उपभोक्ता अपीलार्थी की दुकान पर राशन कार्ड व अधार कार्ड लेकर सामग्री प्राप्त करने के लिए आते है जिनका पोश मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही गेहूं दिया जाता है किसी कारणवश सत्यापन नहीं होने पर आधार के द्वारा मोबाईल सत्यापन करके उपभोक्ता को गेंहू दिया जाता है। पोश मशीन में पहले से ही आधार कार्ड अंकित है अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन में आधार कार्ड अंकित नहीं किये गये है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा गेहूं का गबन नही किया गया। अपीलार्थी के विरूद्व आरोप यह नही है कि उसके द्वारा गेहूं का वितरण नहीं किया गया या उपभोक्ताओं को गेहूं नही दिया । जिन राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं द्वारा गेहूं उठाया गया उन्हे बिना साक्ष्य मे बुलाये तथा उनसे जांच किये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। राशन कार्ड संख्या 119000707875 का मालिक/मुखिया मिनेश शेखावत को भी जांच हेतु नहीं बुलाया और वह आधार जिसे फर्जी बनाया गया है, के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी ने कोई जाच न कर एक तरफा निर्णय पारित किया है। पोस मशीन मे पहले से ही आधार कार्ड अंकित है। मेरे द्वारा पोस मशीन में आधार कार्ड अंकित नही किये गये है। इसलिए

जिला कलक्टर
जयपुर

मेरे द्वारा गेहूं का गबन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अपीलार्थी के जबाब पर विचार किये बिना पारित किया है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो परिवादी का परीक्षण किया ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का मौका दिया, ना राशन कार्ड जब्त किया, ना प्राधिकार पत्र जब्त किया और ना ही कोई जांच की। यहां तक कि राशन कार्डधारक को भी नहीं बुलाया । आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के प्रावधान के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक राशनकार्डो पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ के विक्रय या वितरण पर इन्कार नहीं कर सकता तथा शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त वितरण का इन्द्राज प्राधिकारधारक राशनकार्डो में निर्धारित स्थानों पर करने को पाबन्द है। आदेश 1976 के उक्त प्रावधान सर्वोपरि है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहूं का विक्रय राशनकार्ड धारक को किया गया है। जिसका इन्द्राज उपभोक्ता के राशन कार्ड में दर्ज है। राशनकार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर भी दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। खाद्य विभाग एवं नागरिक विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2015 द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को डिजीटिल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन उक्त आदेशों की ना तो कोई पालना की गई और ना ही किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को पोरा मशीन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने अन्य अनेक मामलों में उक्त अनियमितता के लिए केवल मात्र गेहूं की कीमत जमा करा कर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी के निम्न मामले –(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार मीणा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया उल्लेखनीय है। उक्तानुसार एक ही प्रकार के आरोप पर जहा उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया है और उनसे गेहूं की कीमत जमा कराली गई है, जबकि अपीलार्थी से गेहूं की राशि भी जमा करली और अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, वह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के मामलो में दो अलग अलग निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिववता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशनकार्ड संख्या 119000707875 में अन्य व्यवित का आधारकार्ड लिंक करके गेहूँ का अवैद्य आहरण किया गया है। एफ पी एस डीलर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड मे सही आधारकार्ड लिंक करके गेहूं की सही सही निकासी करे। आधार कार्ड लिक करने का कार्य भी एफ पी एस डीलर द्वारा ही किया जाता है। राशन कार्ड संख्या 119000707875 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति के आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की अवैद्य निकासी राशन डीलर की लिप्तता के बिना सम्भव नही है।

जिला कलक्टर
जयपुर

दुकानदार का जबाब संतोषप्रद नही है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर माह अक्टूबर 2018 में राशन कार्ड संख्या 119000707875 में फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर 40 किलोग्राम गेहूं की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन कार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड संख्या 119000707875 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति को जांच करने के लिए तलब नही किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्ज सिद्व कर पाये है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलो में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाक 29.07.2019 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

9/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर